भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 237*

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

बाल सुधार गृहों की दयनीय स्थिति

***237. श्री डी० राजा :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जे० एस० वर्मा समिति ने अपने प्रतिवेदन में हमारे बाल-सुधार गृहों की दयनीय स्थिति और प्रतिवर्ष लापता होने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह)

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

<u>दिनांक 13 मार्च, 2013 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 237 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) : जी, हां।

(ख) : किशोर गृहों के रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निरीक्षण और नियमित निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होता है कि संस्थाएं किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 और उसके अधीन बनाए गए केन्द्रीय माडल नियमों के प्रावधानों के अनुसार चलाए जाते हैं । गृहों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और अधिनियम के अधीन नियमों में निर्धारित देखभाल का न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए, मंत्रालय अधिनियम के तहत बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना, उन्नयन और रखरखाव के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें प्रेक्षण गृह और विशेष गृह भी शामिल हैं। नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक अवसंरचना, कपड़े, बिस्तर पोषण और आहार के स्तर तथा शिक्षा, कपड़े, प्रशिक्षण, परामर्श आदि जैसे पुनर्वास उपायों का उल्लेख किया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध के निवारण, पता लागने, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 31 जनवरी, 2012 को, लापता बच्चों "दुर्व्यापार को रोकने' और 'बच्चों का पता लगाने' के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया है। इसमें, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दुर्व्यापार को रोकने और बच्चों का पता लगाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपाय करने का परामर्श दिया गया था। इनमें लापता बच्चों का पता लगाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण, डी एन ए प्रोफाइलिंग, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों की सहभागिता, सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने संस्थागत तंत्रों की उपलब्धता और 'लापता बच्चों' के मामलों के पंजीकरण का पता लगाने के लिए दिनांक 28.02.2013 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक वीडियो कान्फ्रेंस की थी। अधिकांश राज्य लापता बच्चों के मामलों को एफ आई आर के रुप में पंजीकृत कर रहे हैं और लगभग सभी पुलिस जिलों ने विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना कर ली है और पुलिस स्टेशनों ने महिला/सहायता डेस्क सहित बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, क्रमशः वर्ष 2009, 2010 और 2011 के संबंध में लापता, पता लगाए गए और पता न लगाए जा सके बच्चों से संबंधित आंकड़े अनुलग्नक में दिए गए हैं। .

*****